

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग-6(उच्च शिक्षा)
संख्या-1067/XXIV(6)/2017-03(21)/2016
देहरादून, दिनांक: 03 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

श्री राज्यपाल क्वांटम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-04 वर्ष, 2017) की धारा 01 की उपधारा 02 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम को प्रवृत्त करने की एतद् द्वारा दिनांक 03 नवम्बर, 2017 की तारीख नियत करते हैं।

(डॉ० रणबीर सिंह)
अपर मुख्य सचिव

पृष्ठा0 संख्या-1067(1)/XXIV(6)/2017-03(21)/2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव श्री राज्यपाल, सचिवालय, देहरादून।
4. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
6. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
7. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
8. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।
9. निदेशक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड।
11. सचिव, एम0एम0डी0 एजूकेशन रिसर्च फाउन्डेशन, देहरादून।
12. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की जनपद हरिद्वार के अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने एवं इसकी 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एम0एम0 सेमवाल)
संयुक्त सचिव